न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 6 / 2014

1 दिलीप सिंह पुत्र भगवान सिंह [illegible]पूत निवासी ग्राम आसपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपीलांट

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 76 लेण्ड रेवन्यू एक्ट
विरूद्व निर्णय तहसीलदार श्रीमाधोपुर
दिनांक 18.12.2009 मु.नं. 262 / 2009
अनुवानी राजस्थान सरकार बनाम इन्द्रसिंह
व निर्णय अपर जिला कलेक्टर महोदय
सीकर दिनांक 11.06.2014 अपील नम्बर
12 / 10 अनुवानी दिलीप सिंह बनाम सरकार

उपस्थिति :

1. श्री बजरंग सिंह शेखावत, अधिवक्ता अपीलांट
2. राजकीय, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

–निर्णय–

दिनांकः– 23.10.2019

यह द्वितयी अपील विचारण न्यायालय अपर जिला कलेक्टर सीकर द्वारा मुकदमा संख्या 12/2010 में पारित निर्णय दिनांक 11.06.2014 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा अपीलांट को ग्राम आसपुरा तहसील श्रीमाधोपुर में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 555 रकबा 0.34 हैक्टेयर पर अतिक्रमी मानते हुये बेदखली, निलामी, शास्ति एवं 3 माह की सिविल कारावास से दण्डित करने का आदेश निर्णय दिनांक 18.12.2009 से पारित किया गया। अपीलांट द्वारा इसकी प्रथम अपील अपर जिला कलेक्टर सीकर के समक्ष प्रस्तुत की गई जो विचाराधीन निर्णय दिनांक 11.06.2014 से आंशिक स्वीकार कर सिविल कारावास की सजा स्थगित करते हुये शेष निर्णय यथावत रखा है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय एवं अपील न्यायालय ने साक्ष्य का विवेचन किये बिना गलत राजस्व रिकार्ड के आधार पर अपीलांट के विरूद्व निर्णय पारित किया है। जो अपास्त किये जाने योग्य है। वर वक्त बहस अपीलांट ने आवेदन प्रस्तुत किया कि अपीलांट ने विवादित भूमि से कब्जा हटा लिया है। अपील स्वीकार की जावें। अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.डी 1980 पेज 483, आर.आर.सी. 1993 पेज 535 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने तर्क दिया कि विवादित भूमि की किस्म गैर मुमकिन नदी है राजस्थान अधिनियम की धारा 16 में ऐसी भूमियों को

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

संरक्षित किया गया है। इस पर अतिक्रमण के कारण तहसीलदार ने विधि सम्मत निर्णय पारित किया है। अपील सारहीन है खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि की किस्म गैर मुमकिन नदी है। इस भूमि पर किसी भी व्यक्ति को कब्जा करने एवं खातेदारी प्राप्त करने का अधिकार नही है। दौराने अपील अपीलांट ने आवेदन प्रस्तुत कर कथन किया है कि उसने विवादित भूमि से कब्जा हटा लिया है। अत इस सन्दर्भ में तहसीलदार जांच कर सन्तुष्ट होने पर अपीलांट के विरूद्व पारित सिविल कारावास की सजा का आदेश निरस्त किया जाता है। बेदखली, शास्ति का आदेश यथावत रखा जाता है तदनुसार अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 23.10.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर